**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**APPEAL NO. 28 OF 2023**

**IN THE MATTER OF:**
**ANJUM**

**... APPELLANT**

**VERSUS**

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

**.....RESPONDENT**

**INDEX**


| Sl. No. | Particulars | Page Nos. |
|---|---|---|
| 1. | Copy of recommendation for issuance of showcause notice dated 11.02.2023. | 1 – 3 |
| 2. | Copy Showcause notice dated 11.02.2023 | 4 – 5 |
| 3. | Copy of Objections submitted by the Appellant received on 15.03.2023. | 6 – 9 |
| 4. | Copy of reply to notice dated 11.02.2023 received on 21.04.2023. | 10 – 22 |
| 5. | Copy of order dated 14.07.2023 imposing Environment Compensation. | 23 – 24 |


NEW DELHI
DATED 02.01.2024


**(PRADEEP MISRA AND DALEEP DHYANI)**
Counsels for the U.P. Pollution Control Board,
138, New Lawyers' Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi 110001.
Mobile : 9810252518
Email ID : pradeepmisra@yahoo.com

ई-मेल: romuzaffarnagar@uppcb.in



दूरभाष : 0131-2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

## U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6—बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर—251001 (उ०प्र०)

1

पत्रांक सं० 1554/ओ०ए० सं० 744/मोहर्रम अली/2023 दिनांक Dated 11-2-2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय—मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 744/2022 मोहर्रम अली बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 10.01.2023 एवं ओ.ए. सं. 116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में दोषी श्री अन्जुम पुत्र श्री लताफत निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के परिपेक्ष्य में आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उक्त वाद में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H88708/सी–3/Haz/285/2023, दिनांकः 08.02.2023 द्वारा श्री अन्जुम पुत्र श्री लताफत निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर के विरूद्ध रूपये 4,15,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। अग्रेतर मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं. 116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के विन्दु सं. 9 का अंश निम्नलिखित हैः–

*".........The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation............".*

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में श्री अन्जुम पुत्र श्री लताफत निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर के विरूद्ध पूर्व 05 वर्षो के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

अतः कार्यालय की आख्यानुसार श्री अन्जुम पुत्र श्री लताफत निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण, क्रय–विक्रय, परिवहन आदि के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड से प्राधिकार/सहमति प्राप्त न किये जाने एवं परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन करने हेतु कुल रुपये **–87,10,000/-** (रुपये सत्तासी लाख दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

Neeraj Mittal/Letter 2023

**मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 744/2022 मोहर्रम अली बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 10.01.2023 एवं ओ.ए. सं. 116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में दोषी श्री अन्जुम पुत्र श्री लताफत निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के परिपेक्ष्य में आख्या।**

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 744/2022 मोहर्रम अली बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 10.01.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं :–

*"....11. Let a further action taken report be submitted by State PCB and District Magistrate, Mujaffarnagar clearly stating about the person responsible for alleged dumping, including compliance of consent conditions with respect of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and authorizations granted under Hazardous & Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. The report needs to clarify on fly ash management plan with respect of each industry and management of hazardous waste as per authorizations granted. Further, report should state about action taken against such person/proponent for remediation and prevention of further damage to environment and also with regard to payment of compensation to the victims/heirs of deceased persons....."*.

उक्त वाद ग्राम नंगला बुजुर्ग में सिंचाई विभाग की भूमि पर भण्डारित कैमिकल एवं राख से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने तथा दो अन्य व्यक्तियों के जलकर घायल होने के सम्बन्ध में मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन है। बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्याः H88708/सी–3/Haz/285/2023, दिनांकः 08.02.2023 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार श्री अन्जुम के विरुद्ध उद्योगों से जनित राख में केमिकल को उड़ेले जाने से हुई घटना में दोषी पाये जाने के कारण निरीक्षण दिनांकः 09.07.2022 से कैमिकलयुक्त राख के टी.एस.डी.एफ. के माध्यम से दिनांकः 29.09.2022 को निस्तारण किये जाने तक की अवधि को उल्लंघनकारी दिवस मानते हुए रुपये 5,000/–प्रतिदिन की दर से कुल 83 दिवसों हेतु रूपये–4,15,000/– (रुपये चार लाख पन्द्रह हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसको उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या–701502010002104, आई.एफ.एस.सी. कोड –UBIN0570150 में निर्धारित समयावधि के अन्दर जमा किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। श्री अन्जुम द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण, क्रय–विक्रय, परिवहन आदि के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड से प्राधिकार/सहमति प्राप्त नहीं की गयी है एवं न ही परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन किया गया है।

अग्रेतर मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं. 116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं. 9 का अंश निम्नलिखित हैः–

*".....The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."*.

मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं. 116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं ओ0ए0 संख्या 744/2022 मोहर्रम अली बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 10.01.2023 के अनुपालन में सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार पूर्व पत्र दिनांक–08.02.2023 में आगणित धनराशि रूपये–5,000/– प्रतिदिन की दर से लेते हुए कैमिकलयुक्त राख के टी.एस.डी.एफ. के माध्यम से दिनांकः 29.09.2022 को निस्तारण किये जाने के दिन से पूर्व 05 वर्षों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु दिन 365 X 5 = 1825 - 83 (पूर्व पत्र द्वारा अधिरोपित धनराशि में लिये गये दिन को समायोजित करते हुए) = 1742 दिन को लेते हुए रुपये–87,10,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना उचित है।

3

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में श्री अन्जुम पुत्र श्री लताफत निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण, क्रय–विक्रय, परिवहन आदि के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड से प्राधिकार/सहमति प्राप्त न किये जाने एवं परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन करने हेतु **कुल रुपये –87,10,000/-** (रुपये सत्तासी लाख दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

11.02.23
(इमरान अली)
सहा0पर्या0अभि0

11/02/23
(विपुल कुमार)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्र बोर्ड, मुजफ्फरनगर

वाद सं0–285 सन् 2023

सरकार उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्र बोर्ड बनाम अन्जुम

**आपत्ति मिनजानिब अन्जुम पुत्र श्री लताफत निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग थाना भोपा जिला–मुजफ्फरनगर** :

श्रीमान जी,

**आपत्तिकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है।**

1. यह कि आपत्तिकर्ता ग्राम नंगला बुजुर्ग थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर का मौजूदा ग्राम प्रधान है और उसे रंजिशन ग्राम की पार्टीबाजी के आधार पर झूठे व फर्जी कथनो के आधार पर उसके विरूद्ध चार्जशीट मु0अ0सं0–0179 सन् 2022 अन्तर्गत धारा–304ए आई0पी0सी0 थाना भोपा ने प्रस्तुत की है।

2. यह कि आपत्तिकर्ता का कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ और न ही आपत्तिकर्ता को कोई भी सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसके विरूद्ध दिनांक 29.09.2022 को उल्लधनकारी दिवस मानते हुये 5000/–रूपये प्रतिदिन की दर से कुल 83 दिवसी हेतु रूपये 4,15,000/–रूपये (चार लाख पन्द्रह हजार रूपये) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित के आदेश पारित कर दिये गये, जबकि आपत्तिकर्ता का कानूनी अधिकार का हनन किया गया है आपत्तिकर्ता को सुनवायी का अवसर प्रदपन किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक व न्याय संगत है। आदेश दिनांक 29.09.2022 को रिकॉल व निरस्त फरमाया जाकर सुनवायी का अवसर प्रदान किया जावे।

3. यह कि आपत्तिकर्ता के विरूद्ध 5 वर्षो की अवधि हेतु पर्यावरण क्षति पूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु दिनांक 365 5 1825–83 पूर्व पत्र द्वारा अधिरोपित धनराशि में लिये गये दिन की समायोजित पूर्ति हुये 1742 दिन को लेते हुये 8,71,000/–रूपये पर्यावरण क्षति पूर्ति कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति गलत तौर पर की गयी है जिस घटना का वर्णन न देकर और तमाम विवेचना में गवाहान के ब्यान न प्रस्तुत करना व आपके द्वारा जारी किया गया कारण बताओ नोटिस गलत तथ्यों पर आधारित है जिसके सम्बन्ध में आपत्तिकर्ता को एक माह का समय दिया जावे ताकि रिपोर्ट व आख्या आपके

7

4. यह कि आपत्तिकर्ता के द्वारा कभी भी कोई राखी या जलनशील पदार्थ का कोई भी कार्य नही किया है इसके विपरीत वादी मुकदमा द्वारा इरफान उर्फ भूरा पुत्र युसुफ उर्फ सुक्खा निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर द्वारा अवैध रूप से राखी का कारोबार करता है जिसे समस्त ग्रामवासियों को जानमाल का खतरा बना रहता है उक्त इरफान उर्फ भूरा ने माननीय न्यायालय के सम्मुख भी अपने जुर्म का इकबाल किया है और माननीय न्यायालय द्वारा भी उसे रिमान्ड बनाकर जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरूद्ध किया था।

5. यह कि आपत्तिकर्ता सरकार उत्तर प्रदेश नियन्त्रण बोर्ड के समक्ष कानूनी दस्तावेज व आवश्यक कागजात पेश करने के लिये तैयार व इच्छुक है जिसके लिये एक माह का समय प्रदान किया जावे ताकि श्रीमान जी के समक्ष सही तथ्य पेश हो सके।

दिनांक : 10/3/2023

आपत्तिकर्ता

Anjum

अन्जुम पुत्र श्री लताफत
निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग थाना
भोपा जिला–मुजफ्फरनगर

1|21|B
16|3|23

18|3|23
डाक प्राप्ति
प्राप्ति दिनांक 15-3-23
प्रारूपकर्ता के हस्ताक्षर

RP

6
8

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

सन्दर्भ सं० H88708

वाद सं0–285 सन् 2023

सरकार उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्र बोर्ड बनाम अन्जुम

**आपत्ति मिनजानिब अन्जुम पुत्र श्री लताफत निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग थाना भोपा जिला–मुजफ्फरनगर :**

**श्रीमान जी,**

आपत्तिकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है।

1. यह कि आपत्तिकर्ता ग्राम नंगला बुजुर्ग थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर का मौजूदा ग्राम प्रधान है और उसे रंजिशन ग्राम की पार्टीबाजी के आधार पर झूठे व फर्जी कथनो के आधार पर उसके विरूद्ध चार्जशीट मु0अ0सं0–0179 सन् 2022 अन्तर्गत धारा–304ए आई0पी0सी0 थाना भोपा ने प्रस्तुत की है।

2. यह कि आपत्तिकर्ता का न तो उक्त मुकदमा से कोई सम्बन्ध है और दर्शाई गयी घटना में वादी मुकदमा ने उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में आपत्ति के विरूद्ध कोई आरोप नही लगाया है। इसके विपरीत राखी ठेकेदार द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके राखी व उसमें मिश्रित केमिकल जांच पडताल न होकर विवेचना विवेचक महोदय ने त्रुटिवश व आर्थिक लाभ कमाने की गरज से आपत्तिकर्ता की छवि बरबाद करने के उद्देश्य से आपत्तिकर्ता को उक्त मुकदमा में गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया है।

3. यह कि उक्त मु0अ0सं0–179 सन् 2022 में अब तक मान्य न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान चार्जशीट पर नही लिया गया है। इसके विपरीत आपका नोटिस दिनांकित 08.02.2023 गलत तौर पर प्रेषित किया गया है जबकि न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान या तलबी आदेश पारित नही हुआ है।

EE/AEE
17/3/23
JA
23/3/23

Anjum

9

समक्ष रखी जावे ताकि आप उक्त मामले का निस्तारण गुण दोष के आधार पर कर सके।

4. यह कि आपत्तिकर्ता का न तो उक्त मुकदमा से कोई सम्बन्ध है और दर्शाई गयी घटना में वादी मुकदमा ने उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में आपत्ति के विरूद्ध कोई आरोप नही लगाया है। इसके विपरीत राखी ठेकेदार द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके राखी व उसमें मिश्रित केमिकल जांच पडताल न होकर विवेचना विवेचक महोदय ने त्रुटिवश व आर्थिक लाभ कमाने की गरज से आपत्तिकर्ता की छवि बरबाद करने के उद्देश्य से आपत्तिकर्ता को उक्त मुकदमा में गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया है।

5. यह कि उक्त मु0अ0सं0–179 सन् 2022 में अब तक मान्य न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान चार्जशीट पर नही लिया गया है। इसके विपरीत आपका नोटिस दिनांकित 08.02.2023 गलत तौर पर प्रेषित किया गया है जबकि न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान या तलबी आदेश पारित नही हुआ है।

6. यह कि आपत्तिकर्ता के द्वारा कभी भी कोई राखी या जलनशील पदार्थ का कोई भी कार्य नही किया है इसके विपरीत वादी मुकदमा द्वारा इरफान उर्फ भूरा पुत्र युसुफ उर्फ सुक्खा निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर द्वारा अवैध रूप से राखी का कारोबार करता है जिसे समस्त ग्रामवासियों को जानमाल का खतरा बना रहता है उक्त इरफान उर्फ भूरा ने माननीय न्यायालय के सम्मुख भी अपने जुर्म का इकबाल किया है और माननीय न्यायालय द्वारा भी उसे रिमान्ड बनाकर जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरूद्ध किया था।

7. यह कि आपत्तिकर्ता सरकार उत्तर प्रदेश नियन्त्रण बोर्ड के समक्ष कानूनी दस्तावेज व आवश्यक कागजात पेश करने के लिये तैयार व इच्छुक है जिसके लिये एक माह का समय प्रदान किया जावे ताकि श्रीमान जी के समक्ष सही तथ्य पेश हो सके।

दिनांक : 10/3/2023

आपत्तिकर्ता
अन्जुम पुत्र श्री लताफत
निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग थाना
भोपा जिला–मुजफ्फरनगर

1740/98 21/04/23 10

21/4/23

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 21-4-23
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

जवाब नोटिस मिनजानिब अन्जुम पुत्र लताफत निवासी नया गॉव नंगला बुजुर्ग थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर विरूद्ध नोटिस उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ दिनांकित 11-02-2023,

बनाम

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ।

जवाब नोटिस निम्न आधारो पर प्रस्तुत है:-

1:- यह कि जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण अधिनियम 1974 व वायू प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण अधिनियम 1981 एवं मैनेजमेन्ट एण्ड ट्रांस्बाउण्ड्री नियम 2016 सीमा पार संचलन नियम 2016 उक्त तीनो अधिनियमो को आधार बनाकर मुझ जवाब नोटिसी को जो नोटिस भेजा गया है वह कतई झूठ और गलत तथ्यो के आधार पर प्रेषित कराया गया है जिसमे कोई सच्चाई किसी प्रकार की नही है। यदि इन तीनो अधिनियमो का विशलेषण किया जाये तो मुझ जवाब नोटिसी द्वारा किया गया कथित कार्य उक्त अधिनियमो के अनुरूप नही है।

2:- यह कि बोर्ड मुख्यालय पत्र दिनांकित 08-02-2023 माननीय एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 744/22 के द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन में मुझ जवाब नोटिसी को जो नोटिस प्रेषित किया गया है उसमें सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गई मैथाडालॉजी के अनुसार उद्योगो से जनित राख में कैमिकल को उडेले जाने के सम्बन्ध में दोषी मानते हुए नोटिस भेजा गया है जबकि जिस कैमिकल को उडेलने की बात नोटिस में उल्लेखित की गई है न तो जवाब नोटिसी को उक्त कैमिकल की कोई जानकारी है और न ही नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि वह कैमिकल क्या था तथा कहा से

Anjum Ali

Lower Court -2 - 167

खरीदा गया अथवा उत्पन्न हुआ और न ही उस कथित कैमिकल की कोई वैज्ञानिक जॉच कराई गई है।

3:- यह कि जिस दिनांक 13-11-2018 की घटना को आधार बताते हुए सी0पी0सी0बी0 द्वारा यह नोटिस, मुझ जवाब नोटिसी को भेजा गया है कथित घटना में मुझ जवाब नोटिसी का कोई दोष किसी प्रकार का नही है और न ही था क्योंकि कथित घटना में तत्कालीन ड्रग्स इंस्पैक्टर व तत्कालीन उप जिलाधिकारी जानसठ, सी0ओ0 भोपा, हल्का इन्चार्ज व कॉस्टेबिल मनोज यादव व सन्दीप तेवतिया मौके पर आये थे और उन्ही के द्वारा उक्त कैमिकल का निस्तारण किया गया था। मु0अ0 संख्या 179/22 की जॉच आख्या में सी0डी0 नम्बर 19 पेज नं0 2 व 3 में कॉस्टेबिल सन्दीप तेवतिया एवं मनोज यादव व मौके पर उक्त तथाकथित कैमिकल का निस्तारण कराने पहुँचे थे जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा वर्णित कराया गया है कि तत्कालीन ड्रग्स इंस्पैक्टर मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त कैमिकल का सैम्पिल लिया गया था यदि सैम्पिल लिया गया था तो उसकी जॉच मु0अ0 संख्या 179/22 की जॉच आख्या में क्यों शामिल नही है और यदि जॉच नही कराई गई तो किन कारणो से नही कराई गई वह भी जॉचकर्ता द्वारा स्पष्ट नही किया गया है। (सी0डी0 सं019 तथा जी0डी0 दिनांकित 13-11-2018 की छाया प्रति जवाब नोटिस के साथ में संलग्न है।

4:- यह कि 2018 की जी0डी0 नं0 31 दिनांकित 13-11-2018 समय 7:00 बजे के अनुसार तत्कालीन एस0एच0ओ0 भोपा बी0पी0 सिंह ने कहा कि ग्राम कासमपुर थाना भोपा मुजफ्फरनगर में किसी कैमिकल की तीव्र दुर्गन्ध की सूचना पर मोबाईल से सूचना देकर ड्रग्स निरीक्षण मु0नगर को मौके

Lower Court -2 - 168

Ajom Ag

पर बुलवाकर निरीक्षण कराया गया तो ड्रग्स में तीखी दुर्गन्ध मिली थी ड्रग्स निरीक्षक द्वारा निरीक्षण गया तो तहरीर कराया कि स्ट्रोंग कैमिकल या तरल पेस्टीसाईड या बल्ब या कीटनाशक औषधि या कैमिकल बनाने में प्रयोग होने वाले ड्रम्स में सफाई के दौरान तीखी दुर्गन्ध वायुमण्डल में फैल गई ड्रम्स में कोई भी जीव हेतू औषधि नही है सभी ड्रम्स को जे0सी0बी0 द्वारा मिट्टी में दबवा दिया गया जिस सम्बन्ध में मौके पर श्रीमान उपजिला मैजिस्ट्रेट जानसठ मौजूद रहे। इस सम्बन्ध में सी0ओ0 भोपा महोदय, एस0पी0आर0ए0 महोदय को अवगत कराया गया निरीक्षण रिपोर्ट दाखिल की गई। उक्त जी0डी0 नम्बर 31 मु0अ0 संख्या 179/22 की जॉच का मुख्य आधार मानी गयी है जिसमें तत्कालीन एस0ओ0 ने उक्त तथाकथित कैमिकल को ड्रम्स सहित मिट्टी में दबवाने की बात आला अधिकारियो के सामने करने की बात कही है। एस0एच0ओ0 बी0पी0 सिंह द्वारा जी0डी0 में दर्ज तहरीर तथा वर्तमान में दिये गये ब्यानो में भी काफी विरोधाभाष है तथा कॉस्टेबिल मनोज यादव व सन्दीप तेवतिया के ब्यानो के अनुसार मै जवाब नोटिसी ड्रम्स को वापिस अपने साथ ले गया था तथा एस0एच0ओ0 बी0पी0 सिंह ने वर्तमान में अपने ब्यान में कहा है कि उपनिरीक्षक बीर सिंह मेरे साथ थे तथा तथाकथित कैमिकल को दबवाने हेतू उपनिरीक्षक बीर सिंह को भेजा गया था। उक्त ब्यान सी0डी0 नम्बर 33 के पेज नम्बर 3 पर अंकित है। जबकि सी0डी0 नम्बर 23 पेज नम्बर 2 में बीर सिंह ने अपने ब्यान में कहा है कि मुझे जानकारी नही है कि उक्त कैमिकल किसका था तथा बीर सिंह ने भी बताया है कि मै जवाब नोटिसी ड्रम्स अपने साथ ले गया था तथा सी0डी0 नम्बर 19 पेज 4 पर दर्ज कॉस्टेबिल व सन्दीप तेवतिया व मनोज यादव द्वारा भी बीरसिंह के ब्यानो का

Lower Court -2 - 169

Arjun Aej

13

(4)

समर्थन किया गया है तथा बीर सिंह के ब्यानो का समर्थन करते हुए कहा गया कि हमे जानकारी नही थी कि कैमिकल किसका है। उक्त के सम्बन्ध में मुझ जवाब नोटिसी का कहना है कि जी0डी0 में दर्ज तहरीर व सी0डी0 में दिये गये उपनिरीक्षक बीर सिंह, कॉस्टेबिल मनोज यादव व सन्दीप तेवतिया के ब्यानो में इतना अधिक विरोधाभाष मु0अ0 सं0 179/22 की पूरी जॉच आख्या को संदिग्ध बनाता है। (सी0डी0 सं019 व सी0डी0 सं033 व जी0डी0 नम्बर 31 की छाया प्रतियॉ जवाब नोटिस के साथ संलग्न है।)

5:- यह कि तत्कालीन ड्रग्स इंस्पैक्टर जगबीर सिंह जी0डी0 सं031 में वर्णित तहरीर के अनुसार मौके पर थे तथा मु0अ0सं0 179/22 की सी0डी0 सं019 पेज नं04 पर दर्ज बयानो कॉस्टेबिल सन्दीप तेवतिया व मनोज यादव तथा उप निरीक्षक बीर सिंह के अनुसार ड्रग्स निरीक्षक जगबीर सिंह ने उक्त तथाकथित कैमिकल के सैम्पिल लिये थे परन्तु लापरवाही करते हुए उन सैम्पिल की जॉच नही कराई गई और न ही जॉच सम्बन्धित विभाग को सोपी गई। सी0डी0 नम्बर 27 में पेज नं05 पर दर्ज रिटायर्ड ड्रग्स निरीक्षक जगबीर सिंह ने अपने वर्तमान ब्यानो में कहा है कि मै मौके पर गया था चूंकि मै औषधि निरीक्षक के पद पर तैनात था तो किसी ड्रग्स या औषधि से सम्बन्धित जॉच ही मेरे द्वारा की जाती है वह घटना किसी कैमिकल रिसाव से सम्बन्धित थी जबकि पूर्व में वर्णित सी0डी0 नम्बर 19 पेज नम्बर 4 पर मनोज यादव व सन्दीप तेवतिया तथा उपनिरीक्षक बीर सिंह ने अपने ब्यानो में कहा है कि ड्रग्स इंस्पैक्टर जगबीर सिंह ने उक्त तथाकथित कैमिकल के सैम्पिल लिये थे। परन्तु वर्तमान में अपने ब्यानो में ड्रग्स इंस्पेक्टर जगबीर सिंह सैम्पिल लिये जाने से इंकार कर रहे है अतः इस आधार पर मु0अ0 सं0 179/22 की जॉच आख्या मे पूर्णतया

Lower Court -2 - 170

14

सन्देह उत्पन्न होता है और इसी सन्देहात्मक जॉच आख्या के आधार पर मुझ जवाब नोटिसी को यह नोटिस भेजा गया है जो कतई अनुचित एवं निराधार है।

6:- यह कि राख के ढेर के ज्वलनशील हिस्से की जॉच कराने हेतू सी0एस0 आई0आर0 लखनऊ जो कि एक विष अनुसंधान है। यह कहना कि सी0एस0 आई0आर0 लखनऊ की रिपोर्ट कैमिकल के बारे में पूर्णतया सही होगी बिलकुल अनुचित है तथा सी0एस0आई0आर0 की इस रिपोर्ट को मु0अ0संख्या 179/22 की जॉच आख्या का अहम बिन्दू माना गया है जबकि इस रिपोर्ट में कैमिकल या अन्य किसी हानिकारक तत्व होने की पुष्टि नही हुई है जबकि पोलूषण बोर्ड मु0नगर द्वारा भी ओ0ए0 संख्या 744/22 में भी यही सी0एस0आई0 आर0 लखनऊ की रिपोर्ट दाखिल की गई है। मुझ जवाब नोटिसी को माननीय बोर्ड को अवगत कराना है कि रिपोर्ट में अन्तिम पेज पर साफ लिखा गया है कि यह रिपोर्ट किसी भी परिस्थिति में लीगल परपज के लिए प्रयोग नही की जायेगी क्योंकि यह रिपोर्ट सम्भावनाओ पर आधारित है जिसको यकीनी तौर पर नही माना जा सकता है इस रिपोर्ट को बार-बार मु0अ0संख्या 179/22 की जॉच आख्या में वर्णित किया गया है तथा जिला प्रदूषण बोर्ड मु0नगर द्वारा ओ0ए0 संख्या 744/22 में भी एन0जी0टी0 द्वारा तलब रिपोर्ट में इसी सम्भावित रिपोर्ट को दिया गया है जो कि एक भारी लाहपरवाही है। इसलिए एक सम्भावित रिपोर्ट एवं सन्देहात्मक जॉच आख्या जिसमें जी0डी0 नं031 व वर्तमान में दर्ज सभी के ब्यानो में विरोधाभाष है, के आधार पर मुझ जवाब नोटिसी का उत्तरदायित्व नही माना जा सकता है।

7:- यह कि मु0अ0सं0 179/22 के विवेचक महोदय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड मु0नगर यू0पी0सी0बी0 मु0नगर 6बी. नई मण्डी मु0नगर से मांगी गई आख्या जो बिन्दुवार निम्नवत् उपलब्ध कराई गई।

Anjum Ali

15

(6)

उद्योगो में स्थापित ब्यायलर में कोयला राईस हस्क लकडी इन्धन के रूप में प्रयोग किया जाता है उक्त इन्धन के जलने से राख जनित होती है जिसमे मुख्यतः कार्बन एंव मिनरल्स होते है जनित राख का निस्तारण ट्रक ट्रॉली आदि के माध्यम से किया जाता है जो कि पूर्ण रूप से ठण्डी होती है। जिसका निस्तारण Low Lying area में Filling हेतू अथवा सीमेन्ट प्लान्ट में भेजी जाती है उक्त घटना स्थल पर जो राख भण्डारित है उक्त राख में अन्य कैमिकल्स कम्पाऊण्ड्स है जो कि आपस में Exothermic Reaction करके उष्मा उत्पन्न हुई है जो राख के अन्दर ट्रेप हो गई यदि कोई व्यक्ति इस राख के सम्पर्क मे आता है तो उसके जलने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। अवगत कराना है कि आई0आई0टी0आर0 लखनऊ से नमूनो की प्राप्त विशेषण आख्या के अनुसार उक्त राख में कैमिकल्स कम्पाऊण्ड्स पाये गये है हॉ वह हानिकारक है अन्य जगह से कोई नमूना एकत्रित नही किया गया है हॉ इस बात की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता कि इस स्थान पर पूर्व में कोई कैमिकल डाला गया हो और वह मिट्टी व राख के साथ मिल गया हो। मुझ जवाब नोटिसी का कहना है कि उक्त रिपोर्ट जो क्षेत्रीय कार्यालय पोलूषण बोर्ड मुजफ्फरनगर द्वारा विवेचक महोदय को सोपी गई पूर्णतया सम्भावना पर आधारित है और विवेचक महोदय द्वारा दोनो जॉच आख्याओ में यह पता लगाने का कोई प्रयास नही किया गया है कि उक्त तथाकथित कैमिकल को मिट्टी में दबवाने के लिये प्रयोग में लाई गई जे0सी0बी0 मशीन का चालक व स्वामी कौन था और न ही यह जानकारी की गई कि ड्रम्स किस वाहन में निस्तारण करने हेतू लाये गये। जबकि आई0आई0 टी0आर0 लखनऊ की रिपोर्ट भी सम्भावित है तथा उक्त रिपोर्ट को किसी भी परिस्थिति में लीगल परपज के लिए प्रयोग नही किया जा सकता है यह भी लिखा गया है।

Arjun Ali

Lower Court -2 - 172

16

(7)

8:- यह कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 116/2014 आदेश दिनांकित 29-04-2019 एवं ओ0ए0 सं0 744/22 मोहर्रम अली बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 10-01-2023 के अनुपालन में मुझ जवाब नोटिसी पर 1742 दिन की अवधि को उल्लंघनकारी दिवस मानते हुए अंकन 87,10,000/-रूपये की पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतू कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जबकि ओ0ए0 सं0 116/2014 से तो मुझ जवाब नोटिसी का कोई लेना देना नही है और ओ0ए0 सं0744/22 मोहर्रम अली बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में मुझ जवाब नोटिसी ने अपनी भूमिका के बारे में विस्तार से स्पष्ट कर दिया है कि मुझ जवाब नोटिसी द्वारा किसी भी प्रकार का कैमिकल का कोई निस्तारण किया ही नही गया तथा जो भी निस्तारण किया गया वह प्रशासनिक अधिकारियो द्वारा किया गया है। इसके अलावा उक्त नोटिस में यह भी कहा गया है कि दिनांक 09-07-2022 से दिनांक 29-09-2022 तक की अवधि को उल्लंघन दिवस मानते हुए रूपयं 5000/- की दर से कुल 83 दिवसो हेतू रूपये 4,15,000/- की पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी गई है जो कि प्राकृतिक नियमो के विरूद्ध है जबकि उक्त तथाकथित कैमिकल के निस्तारण में मेरी कोई भूमिका है ही नही।

अतः उपरोक्त तथ्यो व कारणो के आधार पर मुझ जवाब नोटिसी को दिया गया उक्त नोटिस निरस्त होने योग्य है, निरस्त किया जावे।

दिनांकः-

जवाब नोटिसी

अन्जुम पुत्र लताफत

निवासी नया गॉव नंगला बुजुर्ग

थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर

मो0नं0 9634181584

Anjum Ali

Lower Court -2 - 173

1741/B 105 21/4/23

2/4/23

17

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 21.4.23
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

जवाब नोटिस मिनजानिब अन्जुम पुत्र लताफत निवासी नया गॉव नंगला बुजुर्ग थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर विरूद्ध नोटिस उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ दिनांकित 11-02-2023,

बनाम

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ।

जवाब नोटिस निम्न आधारो पर प्रस्तुत है:-

1:- यह कि जिलाधिकारी पत्रांक 1369/ओ0ए0 नं0744/मोहर्रम अली/2023 के सम्बन्ध में क्रमशः जिन दो मुकदमो अपराध सं0179/22 अर्न्तगत धारा 278, 285, 338 आई0पी0सी0 तथा मुकदमा अपराध सं0193/22 अर्न्तगत धारा 283, 278, 338 आई0पी0सी0 में जवाब नोटिसी नामजद नही था तथा जवाब नोटिसी के किस ब्यान को इस नोटिस का आधार बनाया गया है वह भी नोटिसी में स्पष्ट नही है तथा न ही मुझ नोटिसी द्वारा कोई ब्यान कभी दर्ज कराया गया है।

EE/AEE

2:- यह कि ग्राम नगंला बुजुर्ग में सिचाई विभाग की भूमि पर पडी हुई राख में केमिकल उडेलने की बात कही गई है जबकि मुझ नोटिसी द्वारा किसी भी प्रकार के केमिकल का कोई निस्तारण नही किया गया। जिस दिनांक 13-11-2018 की घटना को आधार बताते हुए सी0पी0सी0बी0 द्वारा यह नोटिस, मुझ जवाब नोटिसी को भेजा गया है कथित घटना में मुझ जवाब नोटिसी का कोई दोष किसी प्रकार का नही है और न ही था क्योंकि कथित घटना में तत्कालीन ड्रग्स इंस्पैक्टर व तत्कालीन उप जिलाधिकारी जानसठ, सी0ओ0 भोपा, हल्का इन्चार्ज व कॉस्टेबिल मनोज यादव व सन्दीप तेवतिया मौके पर आये थे और उन्ही के द्वारा उक्त घटना का निस्तारण किया गया था।

SA/xo 24/4/23

Lower Coart -2 - 174

Anjum Ali

18

(2)

मु0अ0 संख्या 179/22 की जॉच आख्या में सी0डी0 नम्बर 19 पेज नं0 2 व 3 में कॉस्टेबिल सन्दीप तेवतिया एवं मनोज यादव व मौके पर उक्त तथाकथित कैमिकल का निस्तारण कराने पहुँचे थे जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा वर्णित कराया गया है कि तत्कालीन ड्रग्स इंस्पैक्टर मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त कैमिकल का सैम्पिल लिया गया था यदि सैम्पिल लिया गया था तो उसकी जॉच मु0अ0 संख्या 179/22 की जॉच आख्य में क्यों शामिल नही है और यदि जॉच नही कराई गई तो किन कारणो से कराई गई वह भी जॉचकर्ता द्वारा स्पष्ट नही किया गया है। (सी0डी0 सं019 तथा जी0डी0 दिनांकित 13-11-2018 की छाया प्रति जवाब नोटिस के साथ में संलग्न है।

बोर्ड मुख्यालय पत्र दिनांकित 08-02-2023 माननीय एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 744/22 के द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन में मुझ जवाब नोटिसी को जो नोटिस प्रेषित किया गया है उसमें सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गई मैथाडालॉजी के अनुसार उद्योगो से जनित राख में कैमिकल को उडेले जाने के सम्बन्ध में दोषी मानते हुए नोटिस भेजा गया है जबकि जिस कैमिकल को उडेलने की बात नोटिस में उल्लेखित की गई है न तो जवाब नोटिसी को उक्त कैमिकल की कोई जानकारी है और न ही नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि वह कैमिकल क्या था तथा कहा से खरीदा गया अथवा उत्पन्न हुआ और न ही उस कथित कैमिकल की कोई वैज्ञानिक जॉच कराई गई है।

3:- यह कि नोटिस में केमिकल का नमी से रिएक्शन होने के कारण राख में ट्रेप होनी बतायी गयी है जिस रिएक्शन का कोई प्रमाणीत अथवा वैज्ञानिक दस्तावेज नोटिस में वर्णित नही किया गया है तथा एक्सोथर्मीक रिएक्शन की बात केवल सम्भावनाओ पर आधारित है।

ArjumAli

Lower Coart -2 - 175

19

4:- यह कि नोटिस में मुझ जवाब नोटिसी द्वारा क्रत कार्य के द्वारा मौहम्मद नबी पुत्र परवस की मृत्यु एंव सैफ अली पुत्र मोहररम अली व मोमीन के घायल होने का कारण माना गया है जोकि पूर्णतः निराधार व अस्वीकार्य है मुझ नोटिसी का मृतक मौहम्मद नबी की मृत्यु एंव मोहररम अली व मोमीन के घायल होने में कोई दोष नही है। मृतक मौहम्मद नबी की मृत्यु अख्या में साफ लिखा गया है कि मृतक मौहम्मद नबी की मृत्यु किसी कैमिकल के रियक्शन के कारण से नही बल्कि जलने से हुई है तथा जनमानस को हानि व पर्यावरण की क्षति का होना स्पष्ट किया गया है जबकि मुझ नोटिसी द्वारा ऐसा कोई कार्य नही किया गया है जिससे कोई पर्यावरणी क्षति कायम हुई हो तथा जिन दोनो मुकदमो का बोर्ड द्वारा उपर वर्णन किया गया है उक्त दोनो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है तथा जिन पर न्यायालय में सुनवाई होनी अभी बाकी है जबकि माननीय न्यायालय से पुर्व किसी निस्कर्ष तक पहुँचना न्यायालय की अवमानना के बराबर है।

5:- यह कि तत्कालीन ड्रग्स इंस्पैक्टर जगबीर सिंह जी0डी0 सं031 में वर्णित तहरीर के अनुसार मौके पर थे तथा मु0अ0सं0 179/22 की सी0डी0 सं019 पेज नं04 पर दर्ज बयानो कॉस्टेबिल सन्दीप तेवतिया व मनोज यादव तथा उप निरीक्षक बीर सिंह के अनुसार ड्रग्स निरीक्षक जगबीर सिंह ने उक्त तथाकथित कैमिकल के सैम्पिल लिये थे परन्तु लापरवाही करते हुए उन सैम्पिल की जॉच नही कराई गई और न ही जॉच सम्बन्धित विभाग को सोपी गई। सी0डी0 नम्बर 27 में पेज नं05 पर दर्ज रिटायर्ड ड्रग्स निरीक्षक जगबीर सिंह ने अपने वर्तमान ब्यानो में कहा है कि मै मौके पर गया था चूंकि मै औषधि निरीक्षक के पद पर तैनात था तो किसी ड्रग्स या औषधि से सम्बन्धित जॉच ही मेरे द्वारा

Anjum Ali

Lower Coart -2 - 176

20

की जाती है वह घटना किसी कैमिकल रिसाव से सम्बन्धित थी जबकि पूर्व में वर्णित सी0डी0 नम्बर 19 पेज नम्बर 4 पर मनोज यादव व सन्दीप तेवतिया तथा उपनिरीक्षक बीर सिंह ने अपने ब्यानो में कहा है कि ड्रग्स इंस्पैक्टर जगबीर सिंह ने उक्त तथाकथित कैमिकल के सैम्पिल लिये थे। परन्तु वर्तमान में अपने ब्यानो में ड्रग्स इंस्पेक्टर जगबीर सिंह सैम्पिल लिये जाने से इंकार कर रहे है अतः इस आधार पर मु0अ0 सं0 179/22 की जॉच आख्या मे पूर्णतया सन्देह उत्पन्न होता है और इसी सन्देहात्मक जॉच आख्या के आधार पर मुझ जवाब नोटिसी को यह नोटिस भेजा गया है जो कतई अनुचित एवं निराधार है। 6:- यह कि राख के ढेर के ज्वलनशील हिस्से की जॉच कराने हेतू सी0एस0 आई0आर0 लखनऊ जो कि एक विष अनुसंधान है। यह कहना कि सी0एस0 आई0आर0 लखनऊ की रिपोर्ट कैमिकल के बारे में पूर्णतया सही होगी बिलकुल अनुचित है तथा सी0एस0आई0आर0 की इस रिपोर्ट को मु0अ0संख्या 179/22 की जॉच आख्या का अहम बिन्दू माना गया है जबकि इस रिपोर्ट में कैमिकल या अन्य किसी हानिकारक तत्व होने की पुष्टि नही हुई है जबकि पोलूषण बोर्ड मु0नगर द्वारा भी ओ0ए0 संख्या 744/22 में भी यही सी0एस0आई0 आर0 लखनऊ की रिपोर्ट दाखिल की गई है। मुझ जवाब नोटिसी को माननीय बोर्ड को अवगत कराना है कि रिपोर्ट में अन्तिम पेज पर साफ लिया गया है कि यह रिपोर्ट किसी भी परिस्थिति में लीगल परपज के लिए प्रयोग नही की जायेगी क्योंकि यह रिपोर्ट सम्भावनाओ पर आधारित है जिसको यकीनी तौर पर नही माना जा सकता है इस रिपोर्ट को बार-बार मु0अ0संख्या 179/22 की जॉच आख्या में वर्णित किया गया है तथा जिला प्रदूषण बोर्ड मु0नगर द्वारा ओ0ए0 संख्या 744/22 में भी एन0जी0टी0 द्वारा तलब रिपोर्ट में इसी

Anjum Ali

Lower Court -2 - 177

सम्भावित रिपोर्ट को दिया गया है जो कि एक भारी लाहपरवाही है। इसलिए एक सम्भावित रिपोर्ट एवं सन्देहात्मक जॉच आख्या जिसमें जी0डी0 नं031 व वर्तमान में दर्ज सभी के ब्यानो में विरोधाभाष है, के आधार पर मुझ जवाब नोटिसी का उत्तरदायित्व नही माना जा सकता है।

7:- यह कि जवाब नोटिसी को परिसंकटमय, अपशिष्ट के भंडारण, क्रय-विक्रय, परिवहन आदि के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त न करने का आरोप लगाया गया है जबकि जवाब नोटिसी द्वारा किसी भी प्रकार के संकट में अपशिष्ट का न तो कभी भंडारण किया गया, न ही क्रय-विक्रय किया गया और न ही परिवहन आदि किया गया। लगाये गये आरोप पुर्णतः निराधार एंव गलत है जोकि किसी भी कीमत पर स्वीकार नही है और न ही नोटिस में किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय अथवा भंडारण का साक्ष्य दिया गया है और न ही उपरोक्त वर्णित दोनो मु0अ0सं0179/22 और मु0अ0सं0 193/22 की जांच आख्या में इस प्रकार का कोई साक्ष्य पाया गया है।

8:- यह कि जवाब नोटिसी द्वारा प्रबन्ध और सीमापार संचलन 2016 के नियमो का कोई उलंघन किसी प्रकार से नही किया गया है यदि सीमापार संचलन 2016 के नियमो का विश्लेषण किया जाये तो मुझ नोटिसी पर कोई दायित्व नही बनता है और तथाकथित केमिकल के निस्तारण में प्रार्थी ने कोई भी लापरवाही किसी भी प्रकार की नही की है और न ही प्रार्थी न उक्त केमिकल का निस्तारण नही किया है मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे जिनके उक्त केमिकल का निस्तारण किया गया जिसका पुरा वर्णन उपरोक्त दोनो मुकदमो की जॉच आख्या में किया गया है।

9:- यह कि दिनांक 29-09-2022 तक की अवधि को उल्लंघन दिवस

Arjum Ali

Lower Coart -2 - 178

मानते हुए रूपये 5000/- की दर से कुल 83 दिवसो हेतू रूपये 4,15,000/- की पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी गई है जो कि प्राकृतिक नियमो के विरूद्ध है जबकि उक्त तथाकथित कैमिकल के निस्तारण में मेरी कोई भूमिका है ही नही।

अतः उपरोक्त तथ्यो व कारणो के आधार पर मुझ जवाब नोटिसी को दिया गया उक्त नोटिस निरस्त होने योग्य है, निरस्त किया जावे।

दिनांकः-

जवाब नोटिसी

अन्जुम पुत्र लताफत

निवासी नया गॉव नंगला बुजुर्ग

थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर

मो0नं0 9634181584

Lower Coart -2 - 179

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Mail sent 18/7/23

111

संदर्भ संख्याः H97738 / सी–3 / H02 2857 / 23 दिनांकः 14 / 07 / 2023

सेवा में,

श्री अन्जुम पुत्र श्री लताफत,
निवासी–ग्राम–नंगला बुजुर्ग, थाना–भोपा, भोपा रोड,
जनपद–मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

23

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 89008 / सी–3 / हैजा. / 285 / 2023 दिनांक 11.02.2023 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्गत कारण बताओ नोटिस का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से श्री अन्जुम पुत्र श्री लताफत, निवासी–नंगला बुजुर्ग, थाना–भोपा, भोपा रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर पर परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण, क्रय विक्रय, परिवहन आदि के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड से प्राधिकार / सहमति प्राप्त न किये जाने एवं परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए कुल रू0 87,10,000 / – (रूपये सत्तासी लाख दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित कर उक्त की वसूली किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 12.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आप द्वारा बोर्ड में दिये गये प्रत्यावेदन में तथ्यों का परिशीलन किया गया तथा आप द्वारा दिये गये तथ्यों के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये एवं प्रत्यावेदन में दिये गये तथ्य बलहीन, तर्कविहीन तथा आधारहीन है श्री अन्जुम पुत्र श्री लताफत द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैज्ञानिक एवं अवैधानिक रूप से राख के भण्डारण किये जाने एवं उसमें कैमिकल का निस्तारण होने के फलस्वरूप ही घटना घटित हुई है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.06.2023 के द्वारा श्री अन्जुम पुत्र श्री लताफत, निवासी ग्राम–नंगला बुंर्जुग, थाना भोपा, भोपा रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर के विरूद्व राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच 89008 / सी–3 / हैजा. / 285 / 2023 दिनांक 11.02.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रू0 87,10,000 / – (रूपये सत्तासी लाख दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 12.06.2023 के परिप्रेक्ष्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार श्री अन्जुम पुत्र श्री लताफत, निवासी ग्राम–नंगला बुंर्जुग, थाना भोपा, भोपा रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.02.2023 की पुष्टि करते हुए आपको पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 08.02.2023 में आगणित धनराशि रू0 5000 / – प्रतिदिन की दर से लेते हुए कैमिकलयुक्त राख के टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से दिनांक 29.09.2022 को निस्तारण किये जाने के दिन से पूर्व 05 वर्षो की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु दिन 365 X 5=1825-83 (पूर्व पत्र द्वारा अधिरोपित धनराशि में लिये गयें दिन को समायोजित करते हुए ) =1742 दिन को लेते हुए रूपये 87,10,000 / – पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के निर्धारित समयावधि के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

14/7/23

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुज़फ्फरनगर।

...2 / –

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
E-mail : info@uppcb.com

2. विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग के विरूद्व अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली निर्धारित समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करे।

14/7/23

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3